

**मांग संख्या 06**  
**मुख्य शीर्ष 2054**

**मद क्रमांक 1 से 2**

संचालनालय पेशन एवं भविष्य निधि के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी हेतु ₹ 200 का प्रतीक अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है। जिसके लिए आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत Middleware server & NAS storage device हेतु ₹100 के प्रतीक अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है। जिसके लिए आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2071**

**मद क्रमांक 4**

परिभाषित अंशदायी पेशन योजना के नियोक्ता अंशदान भुगतान हेतु ₹2,227.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹22,27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।